

15
लगाव कर देणु जमाव रीत्या

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं सैन
राजस्व जमाव अधिकारी, अजमेर

27-1-16

कामिनाथक अपीलानु की कोर ह उत्तीरिदि पल्ल प्रेश
हुमा) कामिनाथक रीको ठे प्रोपक के माथ कामिनाथ
राजस्व मण्डलके के मठा मण्ड हुनामिली प्रोपक
पल्ल न. T A / 4623 / 15 डि.दि 15-12-15 की
जमावित जमी केस की है) किन्दि हु प्रोपक (पानी
किना गण है) रीको कीतली हु प्रोपक (सलकान)
गकर केस करे। केस नले कर जमी करे। प्रजावली डिना
12-2016 की केस है। नकलक प्रोपक (लगाव कर देणु
उजवी रीत्या

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं सैन
राजस्व जमाव अधिकारी, अजमेर


1-2-16

बकुलाय कारिनेन उपास्थित 1. डिपिलार
की ओर से माननीय राजस्व मण्डल
के आदेश दि 29.1.16 की प्रति
प्रस्तुत की है जिसमे न्यायालय हाजा
मे केगिम कारिवाही को डि.गामी
परी तक स्थगित किया गया है

बलवीर सिंह J.S. जलन

अधिकांशालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

क्र. क्रम	हुक्म या कार्यवाही
	<p>रिस्पोंडेंट के अधिभाषकने एक प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दि. 16/12/15 को ही दाना वारीगण अदम तलकी एवं अदम पिरनी में खारिज का दिया गया है। अतः अदम गट अधिलार हो गयी है जिसे चलाए जाने का कोई शोचिल्य नहीं रह गया है।</p> <p>इस बिन्दु पर दोनों अधिभाषकों को सुना गया ।</p> <p>रिस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रति एक प्रमाणित प्रति है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचारार्थिन दाना खारिज किया जा चुका है अतः अब इस अधिलार को चलाने का कोई शोचिल्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में रिस्पोंडेंट का प्रार्थनपत्र स्वीकार कर अधिलार खारिज की जाती है। प्रकरण को केवल शुभम् का नम्बर 6 कम किए जाने के अदेश दिए जाते हैं। माननीय राजस्व मन्त्रालय को पेशवाइज रिपपी के स्तर पर अदेश की प्रति भेजी जावे।</p>


 अधीनस्थ भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील अधिकारी, अलवर